फर्दअहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवानश्रीमतीज्योतिशर्मा **बनाम** **लोकसूचनाअधिकारी एवं पदेन अति0जिलाकलक्टर(द्वितीय) अलवर**

किस्ममुकदमा **प्रार्थना पत्र रिव्यू** **नम्बर** 15/13/2021 28/11/2021

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजो इस हुक्म की तामीलमेंजारीहुए
19.01.21	आज यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी (अपीलार्थी) एवं अपीलार्थी वकील उपस्थित। अपीलार्थी वकील ने सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत अपील पेंश की गई, अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 14.12.2020 नियत की गई। अपीलार्थी एवं अपीलार्थी वकील को आवाज दिलाई गई, अपीलार्थी व उनके अधिवक्ता उपस्थित हुवें– अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सूचना नहीं लिये जाने बाबत अपील नोट प्रेस की गई। अपील अपीलार्थी के अधिवक्ता के लिखित अनुसार अपील को नोट प्रेस में खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 19.01.2021 को प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लेने हेतु पेश कर निवेदन किया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सूचना चाही गई थी, वह गौरव शर्मा अपीलार्थी के पति है जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता है। इस कारण अपील पुनः नम्बर पर लिया ज़ाना न्याय हित में आवश्यक है। हमनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत का अवलोकन किया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.12.2020 को सूचना नहीं लिये जाने बाबत नोट प्रेस किया है, और उस ही आधार पर ही अपील नोट प्रेस में खारिज की गई– उसके पश्चात् सूचित किया कि अपील खारिज की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी चाहे तो सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अधीन सूचना आयोग, जयपुर के समक्ष 90 दिवस की अवधि में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2020 में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना न्यायोचित नही है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र रिव्यू खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर मूल अपील के साथ संलग्न हों। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–01–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(नन्नूमल पहाडिया)** **जिला कलक्टर,अलवर**	